न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 125/16 तारीख रजू– 20/12/16

1– कमल पिसरान सुगन्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूडान टटवाडा की ढाणी तहसील गंगापुर सिटी
2– नवल पिसरान सुगन्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूडान टटवाडा की ढाणी तहसील गंगापुर सिटी
———अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ——— रेस्पोण्डेण्टस

———

निर्णय दिनांक–. 11/02/2017

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 664/16 मे पारित निर्णय दिनांक 16/09/2016 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम टटवाड़ा के खसरा नं0 388 रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझोते की भावन से यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। वकील अपीलान्ट उप0 एवं रेस्पोडेन्टस की और से पेरोकार सरकार उपस्थित।सुलह समझौते के तहत उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने दौराने सुनवाई कथन किया कि धारा 91 एल आर एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होने के उपंरात ही सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जा सकता है ,जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य मोजूद नहीं है। जिससे अपीलांट पश्चावर्ती अतिक्रमी साबित होता हों एवं उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16/09/2016 निरस्त फरमाने का श्रम करे।

विद्वान राजकीय पेरोकार ने दौराने सुनवाई निवेदन किया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा अतिक्रमी द्वारा वाद आराजीयात पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर ही उक्त निर्णय सुनाया गया है। अतिक्रमी का उक्त वाद आराजीयात पर पश्चावर्ती अतिक्रमण होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अतिक्रमी को सिवील कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16/09/2016 यथावत रखा जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की सुनवाई सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का वाद आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया गया है। लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व अतिक्रमण संबंधित कोई रिपोर्ट व निर्णय संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट को पूर्व अतिक्रमी माना जा सके।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बेदखली ,शास्ति व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है तथा तहत न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट का उक्त आराजीयात पर अतिचार पाया जावे तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11/2/17

([illegible] मोहन शर्मा)
सदस्य

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर